न्यायालय जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 62/अपील/19

रामप्रसाद आ0 नाथू धाकड़ नि0 ग्राम सांदलखेडी तहसील सुनेल
बनाम
राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सुनेल वगै0

अपील बनाराजी आदेश नायब तहसीलदार सुनेल दिनांक 01.09.1998
नामान्तरकरण संख्या 280

....

22/19 अभिभाषक श्री हुकमचन्द कुमावत द्वारा नायब तहसीलदार सुनेल के आदेश दिनांक 01.091998 जिसके द्वारा ग्राम खांदलखेडी स्थित आराजी का नामान्तरकरण संख्या 280 तस्दीक किया गया से असन्तुष्ट होने पर प्रस्तुत की गई है। अपील मेंमें में अंकन किया गया है कि अपीलार्थी के पिता के निधन पर विरासत द्वारा स्वीकृत नामान्तरण मृतक का शजरा तैयार करते समय अपीलार्थी का नाम रामप्रसाद के स्थान पर प्रकाश दर्ज हो गया । नाम दुरूस्ती हेतु निवेदन किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण नाम शुद्धीकरण (correction of entry) का है व इस तरह के प्रकरणों को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के नियमों में प्रावधान हैं। उपरोक्त विवेचन से न्यायालय हाजा द्वारा अपीलान्ट को किसी तरह का अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता। अपील अपीलान्ट को प्राथमिक स्तर पर ही खारिज किया जाता है। अभिभाषक अपीलान्ट विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करें। प्रकरण बाद दर्ज रजिस्टर फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर
झालावाड़